>

Title: Need to formulate an effective policy for disposal of Biomedical waste in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 29 मार्च 2011 को देश के 13,037 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सूची जारी की जिन्हें बायोमेडिकल कचरा उत्पादन एवं निपटान नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या 2007-08 में 19,090 थी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 4,05,702 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरा पैदा होता है जिसमें से 2,91,983 किलोग्राम कचरा ठिकाने लगाया जाता है और रोजाना 1,13,719 किलोग्राम कचरा नष्ट नहीं किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली में वापिस आ जाता है। 1998 के बायोमेडिकल कचरा (प्रबंधन और निपटान) नियमों के मुताबिक बायोमेडिकल कचरा पैदा करने वाले सेवा केंद्रों के लिए यह पक्का करना अनिवार्य है कि कचरे के प्रबंधन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसा कभी-कभार होता है। निवारण कानून न होना इस बात की बड़ी वजह है कि बायोमेडिकल कचरे के दिशा निर्देशों का अकसर उल्लंघन होता है। अगर कचरे का 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता तो यह लगामार डायरेक्सिन और फ्युरान्स सरीखे ऑर्गेनिक प्रदूषण पैदा करता है।

13.00 hrs.

जिससे कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं और मधुमेह की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस कचरे के निपटान हेतु शीघ्र ही सक्षम नीति एवं कठोर कदम उठाये जाएं तथा भारत में हमें यह काम निजी क्षेत्र को सौंपना चाहिए, ताकि अस्पताल चिकित्सा के मुद्दों पर ध्यान दे सकें।